भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 856

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय परिधान विनिर्माताओं के समक्ष पेश आई समस्याएं

856 **श्री एस. आर. शिवलिंगमः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ हुए अधिमान्य व्यापार समझौतों के कारण बांग्लादेश, वियतनाम और तुर्की जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारतीय परिधान विनिर्माताओं के समक्ष पेश आई विशिष्ट चुनौतियों का आकलन किया है;

(ख) भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) रूपरेखा के अग्रिम चरणों के संबंध में सरकार द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार एफटीए के माध्यम से कपड़ा मूल्य श्रृंखला में दीर्घकालिक निवेश के लिए एक अनुमेय और स्थिर माहौल सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय नियोजित कर रही है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ख): भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने दिनांक 27 जनवरी 2026 को मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए वार्ता संपन्न होने की घोषणा की, जिससे भारत को पहले से मौजूद शुल्क संबंधी नुकसान समाप्त हो गए हैं। यह एफटीए भारतीय परिधान और वस्त्रों को शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करता है (पहले 12% तक शुल्क लगता था), जिससे हमारे निर्यातकों के लिए समान अवसर उपलब्ध होते हैं और यूरोपीय संघ में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता उन प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बढ़ती है जिन्हें यूरोपीय संघ के व्यापार समझौतों के अंतर्गत शुल्क-मुक्त या अधिमान्य पहुंच प्राप्त है।

(ग) सरकार ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, ईएफटीए, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के माध्यम से वस्त्रों में अधिमान्य बाजार पहुंच प्राप्त किया है। इससे निर्यात बढ़ाने का एक बड़ा अवसर प्राप्त होता है, जिससे भारत की वैश्विक बाजार स्थिति मजबूत होती है और वस्त्र मूल्य श्रृंखला में निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। टैरिफ और व्यापार संबंधी बाधाओं में कमी के साथ-साथ निर्यात बढ़ोत्तरी एवं नीतिगत निश्चितता से दीर्घकालिक निवेश आकर्षित होता है।

****